न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्या: 03/24 निर्णय दिनांक 26-12-2024
(जीसीएमएस संख्या 2024/11)

1. तोलाराम पुत्र श्री प्रहलाद जाति ब्राहम्ण निवासी गारबदेसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
2. हनुमान पुत्र श्री प्रहलाद जाति ब्राहम्ण निवासी गारबदेसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. फुसाराम पुत्र श्री पुरखाराम जाति नायक निवासी गारबदेसर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लूणकरणसर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर
दिनांक 27—03—2023

उपस्थितः

1. श्री मुकेश आचार्य, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री संतनाथ योगी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर के निर्णय दिनांक 27—03—2023 जिसके द्वारा अपीलांट् का धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व तरीके से खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के नाम से रिकोर्डेड भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। वादगत भूमि से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का किसी भी प्रकार से सरोकार नहीं है एवं अपीलांट्स के नाम से दर्ज रिकोर्ड भूमि रही है। वादगत भूमि अपीलांट्स को अपने पिता से जरिये रजिस्टर्ड गिफ्टडीड प्राप्त हुई है जिस पर अपीलाट्स काबिज काश्त चले आ रहे है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खसरा नम्बर 698 में 12.65 हैक्टेयर भूमि है एवं अपीलांट के खेत के पूर्व दिशा में स्थित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलांट की भूमि पर जबरन कब्जा करने की कोशिश में है एवं यदि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने इस कृत्य में कामयाब हो गया तो अपीलांट के दावे एवं अपील का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। अपीलांट वादगत भूमि तहसील लूणकरणसर के खसरा नम्बर 599 की तादादी 5.0600 हैक्टेयर भूमि का रिकोर्डेड खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में साबित है एवं यदि अपीलांट को उसकी खातेदारी भूमि से बेदखल कर दिया गया तो उसकी अपूरणीय क्षति भी अपीलांट को कारित होगी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलांट को मात्र तंग परेशान करने की नियत से अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय तहसीलदार में झूठे तरमीम के दावे पेश करके अपीलांट की भूमि को खुर्द–बुर्द करने में लगा है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर वाद के निर्णय तक अपीलांट के खेत खसरा संख्या 599 की मौका एवं राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने का आदेश पारित किया जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मध्य विवाद का मुख्य विषय सीमा विवाद का है। जो भूमि अपीलांट्स के नाम से दर्ज रिकोर्ड है उस भूमि से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खसरा नम्बर 698 में 12.65 हैक्टेयर भूमि है जिसमें से अपीलांट्स ने 3.60 हैक्टेयर भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा न्यायालय तहसीलदार, लूणकरणसर में धारा 183 बी आरटीए के तहत दावा पेश करने के पश्चात न्यायालय तहसीलदार, लूणकरणसर ने अपने निर्णय दिनांक 15–03–2024 में

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट्स को अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने के आदेश प्रदान किये है। अपीलांट्स ने उक्त आदेश की पालना स्थगित करने के लिए कानूनी दावपेच से येनकेन प्रकेरण भूमि पर स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है। जो भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से दर्ज रिकोर्ड है एवं जो भूमि अपीलांट के नाम से दर्ज रिकोर्ड है उक्त भूमि में किसी प्रकार की हेरफेर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नहीं चाहता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 केवल मात्र अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाना चाहता है। अतः अपीलांट्स की अपील सारहीन होने से अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रस्तुत अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के स्थगन प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के विरूद्ध अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है। स्थगन प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित तीनों घटकों (प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति) पर मनन किया गया।

प्रकरण में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट अपनी–अपनी भूमि के खातेदार काश्तकार है। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट की भूमि चिपती हुई है। मुख्य विवाद सीमाज्ञान से संबंधित है। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार लूणकरणसर के निर्णय दिनांक 15–03–2024 अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलाधीन भूमि का सीमाज्ञान करवाया जा चुका है एवं अपीलांट को रेस्पोडेन्ट की भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर भौतिक रूप से बेदखली के आदेश प्रदान किये जा चुके है। इस स्थिति में जबकि अपीलांट को रेस्पोडेन्ट की भूमि पर अतिक्रमी माना जा चुका है प्रथम दृष्टया मामला रेस्पोडेन्ट के पक्ष में बनता है। स्थगन आदेश की आड में किसी भी पक्षकार को कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। रेस्पोडेन्ट की भूमि पर कब्जे की स्थिति में अपूरणीय क्षति भी रेस्पोडेन्ट को ही होनी संभावित है। सुविधा का संतुलन भी रेस्पोडेन्ट के पक्ष में बनता है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उपयुर्क्त विवेचन के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु अपीलांट के विरूद्ध तय किये जाते है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परित आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर का आदेश दिनांक 27–03–2023 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 26-12-2024 को लिखाया सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर